



2026:AHC:37154

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या-2483/2026

रावि प्रकाश सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्या और 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: अभिषेक कुमार सरोज, प्रशांत शुक्ला, सुनील कुमार
प्रतिवादी के अधिवक्ता. मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत शुक्ला और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता कि नियुक्ति 29.01.1999 को ग्राम विकास अधिकारी के पद पर हुई थी और उन्हें वर्ष 2021 में सहायक विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ता के अनुसार, दिनांक 23.01.2026 के एक आदेश के तहत, प्रशासनिक कारणों से याचिकाकर्ता का स्थानान्तरण वाराणसी से गाजीपुर कर दिया गया। उक्त स्थानान्तरण के आदेश की शिकायत करते हुए, याचिकाकर्ता ने मुख्य विकास विकास अधिकारी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया (पेपर बुक के पृष्ठ-52 पर), जिसके बाद 28.01.2026 को मुख्य विकास अधिकारी ने ब्लॉक विकास अधिकारी से एक रिपोर्ट मांगी। इसके बाद, याचिकाकर्ता के अनुसार पृष्ठ-54 पर, 28.01.2026 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें याचिकाकर्ता के स्थानान्तरण को निरस्त करने की याचना की गई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, स्थानांतरण आदेश निरस्त करने की याचना होने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किया जाना आवश्यक है।
3. इस याचिकाकर्ता के प्रतिवादियों को दावे पर विचार करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का निवेदन है कि निर्णय लिया जाए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को इस निवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।

6. दोनों पक्षों के निवेदनों और उनके द्वारा लिए गए रुख पर विचार करते हुए, याचिकाकर्ता को याचिका की स्व-सत्यापित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन तीसरे प्रतिवादी, उप सचिव, उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका का निस्तारण किया जा रहा है। अभ्यावेदन 27.02.2026 तक प्राप्त होने पर, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर विधि के आनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेगा। यदि तीसरे प्रतिवादी की राय है कि इस मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए तो संबंधित कागजात उन्हें भेज दिए जाएंगे।

7. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि रिट याचिका का निर्णय प्रतिवादियों के कोई प्रतिक्रिया मांगे बिना किया गया है। अतः इस आदेश को पारित करना यह नहीं माना जाना चाहिए कि न्यायालय ने मामले के गुण-दोषों पर विचार किया है।

8. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

19 फरवरी, 2026

आशु